MAINS MATRIX

विषय सूची

1. **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला**
2. **मानसिक स्वास्थ्य को अधिकार मानते हुए न्यायालयों का रुख**
3. **बढ़ता मोटापा, बच्चों का अति-प्रसंस्कृत भोजन के संपर्क में आना**
4. **जातिगत अपराधों में अग्रिम जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय की राय**
5. **राजनीतिक अशांति के दौरान सोशल मीडिया कंपनियों का आचरण**

1. वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित फैसला सुनाया। पूरे 2025 अधिनियम को स्थगित करने से इनकार करते हुए उसने केवल कुछ विशेष प्रावधानों को असंवैधानिक या मनमाना पाया और उन्हें निरस्त/स्थगित किया। यह फैसला *prima facie* (प्रथम दृष्टया) विचार पर आधारित है और भविष्य में कानून की वैधता को चुनौती देने पर कोई रोक नहीं लगाता।

---

1. वे प्रावधान जिन्हें कोर्ट ने निरस्त/स्थगित किया

• धार्मिक आचरण का प्रमाण (कोर्ट ने "प्रथम दृष्टया मनमाना" कहकर स्थगित किया):

- **कानून:** किसी व्यक्ति को वक़्फ़ बनाने के लिए यह साबित करना अनिवार्य था कि वह कम से कम पाँच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है।
- **कोर्ट की राय:** उद्देश्य उचित है (ताकि वक़्फ़ को संपत्ति छिपाने या लेनदारों से बचने के "चालाक साधन" के रूप में न इस्तेमाल किया जा सके), परंतु इसकी प्रक्रिया मनमानी है।
- **निर्णय:** इस प्रावधान को तब तक स्थगित किया गया जब तक सरकार पाँच साल की धार्मिक प्रैक्टिस का उचित सत्यापन तंत्र नहीं बनाती।

• धारा 3C (पूरी तरह असंवैधानिक घोषित):

- **कानून:** यदि किसी वक़्फ़ संपत्ति पर संदेह उठे तो औपचारिक जाँच से पहले ही उसका वक़्फ़ का दर्जा खत्म कर सरकार की संपत्ति घोषित किया जा सकता था।
- **कोर्ट की राय:** सरकार को बिना *due process* के यह एकतरफा शक्ति देना अस्वीकार्य है।

• वक़्फ़ काउंसिल और बोर्ड की संरचना (कोर्ट द्वारा संशोधित):

- **निर्णय:** कोर्ट ने गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर सीमा तय की:

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- केंद्रीय वक़्फ़ परिषद: अधिकतम 22 में से 4 गैर-मुस्लिम।
- राज्य वक़्फ़ बोर्ड: अधिकतम 11 में से 3 गैर-मुस्लिम।

- **सीईओ संबंधी प्रावधान:** राज्य वक़्फ़ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यथासंभव मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए।

---

2. वे प्रावधान जिन्हें कोर्ट ने बरकरार रखा

• "यूज़र द्वारा वक़्फ़" की समाप्ति (मनमाना नहीं माना):

- **पुराना प्रावधान:** यदि कोई भूमि लंबे समय तक धार्मिक/चैरिटेबल कार्यों में उपयोग हो तो बिना डीड (दस्तावेज़) के भी उसे वक़्फ़ माना जा सकता था।
- **2025 संशोधन:** अब नया वक़्फ़ बनाने के लिए औपचारिक डीड अनिवार्य है।
- **कोर्ट की राय:** बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के कारण यह उचित है। कोर्ट ने उदाहरण दिया कि आडीना प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड ने हज़ारों एकड़ सरकारी भूमि को वक़्फ़ घोषित कर दिया था।
- **ग्रैंडफ़ादर क्लॉज़:** यह प्रावधान केवल 8 अप्रैल 2025 के बाद बने नए वक़्फ़ पर लागू होगा। पुराने पंजीकृत "यूज़र वक़्फ़" सुरक्षित रहेंगे।

• वक़्फ़ का अनिवार्य पंजीकरण (वैध ठहराया):

- **कोर्ट की राय:** 1923 से वक़्फ़ कानूनों में पंजीकरण की शर्त रही है। यदि *Mutawalis* (प्रबंधक) 102 साल (या 30 साल) तक पंजीकरण नहीं करा पाए तो अब इसे मनमाना नहीं कह सकते।

• संरक्षित स्मारक संबंधी तर्क (अस्वीकार):

- **याचिकाकर्ताओं की दलील:** यदि वक़्फ़ संपत्ति को "protected monument" घोषित कर दिया जाए तो उसका वक़्फ़ दर्जा समाप्त हो जाएगा।
- **कोर्ट की राय:** प्रथम दृष्टया यह तर्क "भ्रामक" है।

• जनजातीय मुस्लिम समुदाय की दान प्रथा (निरस्त नहीं किया गया):

- **चिंता:** कानून से जनजातीय मुसलमानों की भूमि वक़्फ़ में दान करने की परंपरा प्रभावित होगी।
- **कोर्ट की राय:** इन चिंताओं को संज्ञान में लिया, परंतु इन्हें कानून असंवैधानिक ठहराने लायक नहीं माना।

---

3. सरकार के प्रमुख तर्क और आँकड़े

केंद्र सरकार ने संशोधन का बचाव करते हुए दुरुपयोग का हवाला दिया:

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **वक़्फ़ भूमि का विस्फोट:**
    - 2013 तक (मुगल काल से 2013 तक): कुल वक़्फ़ भूमि ≈ 18.3 लाख एकड़
    - 2013-2024 (11 वर्ष): अतिरिक्त ≈ 20.9 लाख एकड़
    - 2024 तक कुल वक़्फ़ भूमि: ≈ 39.2 लाख एकड़
- **सरकार का पक्ष:**
    - जिन्होंने पंजीकरण से बचकर जवाबदेही से बचने की कोशिश की, उन पर रोक लगाना आवश्यक है।
    - "यूज़र वक़्फ़" की समाप्ति *prospective* (भविष्य के लिए) है। मुसलमान वक़्फ़ बना सकते हैं, लेकिन अब औपचारिक डीड जरूरी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और धोखाधड़ी रुके।

---

4. विवादित संपत्तियों की स्थिति (अंतरिम सुरक्षा)

कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक वक़्फ़ ट्रिब्यूनल अंतिम फैसला नहीं देता, **Mutawalis** (प्रबंधक) विवादित संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार (जैसे बेचने या पट्टे पर देने) का निर्माण नहीं करेंगे। यह संतुलन बनाए रखने और सरकारी संपत्तियों को मुकदमे के दौरान सुरक्षित रखने के लिए है।

2. मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में न्यायालय की स्वीकृति

केस अवलोकन

- **मामले का नाम:** सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
- **न्यायालय:** भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- **निर्णय की तारीख:** जुलाई 2025
- **प्रसंग:** एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय बेटी (नीट अभ्यर्थी) की आत्महत्या की सीबीआई जाँच की मांग की थी, जो विशाखापट्टनम के एक हॉस्टल में हुई। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी।

मुख्य कानूनी निर्णय

- **प्राथमिक निर्णय:** मानसिक स्वास्थ्य, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न और अंतर्निहित हिस्सा है।
- **जाँच आदेश:** इस विशेष मामले की जाँच सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को सौंप दी गई।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

“साहा दिशानिर्देश” (अंतरिम आदेश)

न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि फैसला केवल नारेबाज़ी न बने, बाध्यकारी अंतरिम प्रावधान जारी किए:

- **संस्थागत दायित्व:** स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों और कोचिंग संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली अनिवार्य रूप से विकसित करनी होगी।
- **सरकारी कार्यवाही:** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह नियम दो माह के भीतर लागू करने होंगे।
- **निगरानी निकाय:** जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन आवश्यक।
- **कानूनी बल:** ये दिशानिर्देश तब तक विधिक रूप से लागू रहेंगे जब तक संसद इस विषय पर पूर्ण कानून पारित नहीं करती।

अपराधशास्त्रीय एवं सामाजिक विश्लेषण

- **संरचनात्मक पीड़ितकरण की अवधारणा:** यह निर्णय छात्र आत्महत्याओं को व्यक्तिगत विफलता नहीं बल्कि संरचनात्मक पीड़ितकरण और संस्थागत उपेक्षा का परिणाम मानता है।
- **राज्य की जिम्मेदारी:** राज्य और शैक्षणिक संस्थान उन परिस्थितियों के निर्माता या उपेक्षक माने जा सकते हैं जो व्यक्तियों को आत्मघात की ओर धकेलते हैं।
- **संरचनात्मक हिंसा:** संस्थागत उपेक्षा, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी ज़रूरतों से व्यवस्थित रूप से वंचित करती है, योहान गाल्टुंग (Johan Galtung) के सिद्धांत के अनुसार संरचनात्मक हिंसा कहलाती है।

कानूनी महत्व और भरे गए शून्य

- **उन्नत अधिकार:** इस निर्णय ने मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 (जिसका अनुपालन बेहद कमजोर रहा) के अधीन एक वैधानिक अधिकार से उठाकर संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार बना दिया।
- **मानक निर्धारण:** यह राज्य के लिए नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु एक उच्च संवैधानिक मानक तय करता है।

व्यापक निहितार्थ

- **दृष्टिकोण में बदलाव:** व्यक्तिगत त्रासदी से सार्वजनिक अन्याय की ओर विमर्श को मोड़ता है और अदृश्य पीड़ितों को दृश्य बनाता है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **सुधारात्मक उपाय:** परामर्श, संस्थागत सुधार और जवाबदेही तंत्र जैसे निवारक और सुधारात्मक कदमों का मार्ग खोलता है, केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर।
- **अधिकार-धारक की मान्यता:** छात्रों को शिक्षा प्रणाली के निष्क्रिय विषय नहीं बल्कि सक्रिय अधिकार-धारक मानते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य की संवैधानिक सुरक्षा को मान्यता देता है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा

- **कार्यान्वयन चुनौती:** केवल शक्तिशाली न्यायिक घोषणाएँ गहरे सांस्कृतिक और संस्थागत ढाँचों को उखाड़ नहीं सकतीं।
- **मुख्य कसौटी:** इस निर्णय की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या स्कूल, विश्वविद्यालय और सरकारें वास्तव में दिशानिर्देश लागू करेंगी, संसाधन लगाएंगी और कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगी।
- **अंतिम प्रश्न:** यह निर्णय आशा का दीपक है, लेकिन इसकी विरासत इस पर निर्भर करेगी कि क्या यह वास्तविक बदलाव लाता है या एक खोया हुआ अवसर साबित होता है।

विभिन्न प्रश्नपत्रों और विषयों में इस केस का उपयोग कैसे करें

1. जीएस पेपर II (शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय)

यह सबसे प्रत्यक्ष और उच्च-मूल्य वाला अनुप्रयोग है।

संवैधानिक कानून (अनुच्छेद 21):

- **उपयोग का मामला:** न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) की विकसित और विस्तृत व्याख्या को दर्शाने के लिए।
- **उद्धरण:** "न्यायालय ने एक उच्च मानक स्थापित किया है। नागरिक अब अपने मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मांग सकते हैं, न कि केवल एक वैधानिक अधिकार के रूप में।"
- **कैसे उपयोग करें:** न्यायिक सक्रियता, मौलिक अधिकारों, या विशेष रूप से अनुच्छेद 21 से जुड़े प्रश्नों में इस केस को हाल का और सशक्त उदाहरण दें। इसे उन पुराने निर्णयों से जोड़कर दिखाएँ जहाँ अनुच्छेद 21 का विस्तार निजता के अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण आदि तक किया गया।

शासन एवं सरकारी नीतियाँ:

- **उपयोग का मामला:** नीति के इरादे और उसके क्रियान्वयन के बीच अंतर को उजागर करने के लिए।
- **उद्धरण:** "मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 पहले से ही इस अधिकार को मान्यता देता है… लेकिन इसे लगातार लागू नहीं किया गया और प्रवर्तन की व्यवस्था अब भी कमजोर है।"

MENTORA IAS
YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT

- **कैसे उपयोग करें:** शासन की चुनौतियों पर चर्चा करते समय दिखाएँ कि एक अच्छा कानून भी तब तक अर्थहीन है जब तक मजबूत क्रियान्वयन तंत्र न हो। यहाँ न्यायालय का हस्तक्षेप कार्यपालिका की विफलता की प्रतिक्रिया के रूप में आया।

न्यायपालिका की भूमिका:

- **उपयोग का मामला:** न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका (Judicial Activism) पर चर्चा करने हेतु।
- **कैसे उपयोग करें:** इस केस को यह दिखाने के लिए प्रयोग करें कि जब राज्य की अन्य संस्थाएँ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल हों, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। "साहा दिशानिर्देश" इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहाँ न्यायालय ने mandamus जारी करते हुए शासन का ढाँचा ही बना दिया।

सामाजिक न्याय:

- **उपयोग का मामला:** संवेदनशील वर्गों (यहाँ छात्र) और उनकी रक्षा करने में राज्य के दायित्व को दिखाने के लिए।
- **कैसे उपयोग करें:** युवाओं पर दबाव, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता और शोषण-रहित वातावरण सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका पर चर्चा करते समय इस केस को जोड़ें।

---

2. जीएस पेपर I (समाज)

सामाजिक मुद्दे:

- **उपयोग का मामला:** युवाओं पर सामाजिक दबाव (परीक्षा का तनाव, कोचिंग संस्कृति, आत्म-सम्मान को सामाजिक पदानुक्रम से जोड़ना) पर चर्चा करने के लिए।
- **उद्धरण:** "यह उन सामाजिक मूल्यों का प्रश्न भी है जो आत्म-सम्मान को पदानुक्रम से जोड़ते हैं और शासन व्यवस्था के विफल होने का।"
- **कैसे उपयोग करें:** भारतीय युवाओं की चुनौतियों पर आधारित उत्तरों में इस फैसले को जोड़कर तर्क दें कि यह समस्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक-संरचनात्मक है, जिसे बहुआयामी समाधान की आवश्यकता है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

3. बढ़ता मोटापा और बच्चों का अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के संपर्क में आना

1. मुख्य निष्कर्ष (यूनिसेफ़ रिपोर्ट Feeding Profit: How Food Environments Are Failing Children, सितम्बर 2025 से)

- हर 5 में से 1 बच्चा और किशोर (5–19 वर्ष) **अधिक वज़न** के साथ जी रहा है।
- बच्चे "अस्वास्थ्यकर खाद्य वातावरण" के संपर्क में आते हैं, जैसे:

    - विज्ञापन
    - खाद्य सेवा सुविधाएँ
    - कानूनी सुरक्षा की कमी
- सबसे प्रभावित आयु समूह: **5–14 वर्ष**
- पर्यावरणीय कारक: सुविधा स्टोर्स, सुपरमार्केट और चेन आउटलेट्स की बढ़ोतरी, जो अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ बेचते हैं।

---

2. चार्ट्स और डेटा

चार्ट 1: अधिक वज़न वाले बच्चे और किशोरों की संख्या (वैश्विक, आयु समूह अनुसार)

- 0–4 वर्ष: 3.5 करोड़
- 5–9 वर्ष: 14.7 करोड़
- 10–14 वर्ष: 14.1 करोड़
- 15–19 वर्ष: 10.3 करोड़

चार्ट 2: अधिक वज़न वाले बच्चे और किशोर (% वैश्विक, आयु समूह अनुसार)

- 0–4 वर्ष: 5%
- 5–9 वर्ष: 21%
- 10–14 वर्ष: 21%
- 15–19 वर्ष: 18%

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

चार्ट 3: खाद्य आउटलेट्स का रुझान (2013 → 2023)

- **चेन आउटलेट्स घनत्व:**
    - उच्च-आय: तीव्र वृद्धि
    - ऊपरी-मध्यम-आय: वृद्धि
    - निम्न और निचले-मध्यम-आय: न्यूनतम वृद्धि
- **गैर-चेन आउटलेट्स घनत्व:**
    - उच्च-आय: कमी
    - ऊपरी-मध्यम-आय: थोड़ी कमी
    - निम्न और निचले-मध्यम-आय: स्थिर/थोड़ी वृद्धि

चार्ट 4a व 4b: दक्षिण एशिया में उपलब्ध खाद्य प्रकार (2023)

- **स्कूल खाद्य सेवा सुविधाओं में (4a):**
    - पका हुआ भोजन, सब्जियाँ और फल → कम उपलब्ध।
    - पैकेज्ड स्नैक्स, फास्ट फूड, मीठे पेय → अधिक उपलब्ध।
- **बिना खाद्य सुविधाओं वाले स्कूलों के पास (4b):**
    - बच्चे फिर भी पैकेज्ड स्नैक्स, फास्ट फूड, मीठे पेय के संपर्क में।
    - देश अनुसार भिन्नता:
        - भूटान व भारत: मीठे पेय अधिक।
        - नेपाल, पाकिस्तान: फास्ट फूड व पैकेज्ड स्नैक्स अधिक।

चार्ट 5: बच्चों की रक्षा हेतु कानूनी उपाय (देशों का हिस्सा, %)

- **अंतर्राष्ट्रीय कोड** से मेल खाते उपाय (मार्केटिंग रोक, स्कूल भोजन विनियमन आदि):
    - उच्च-आय देश: मज़बूत कानूनी सुरक्षा।
    - निम्न/निचले-मध्यम-आय: कमजोर सुरक्षा।
- **वैश्विक वास्तविकता:**
    - केवल 18% देशों में स्कूलों के पास अस्वास्थ्यकर खाद्य पर अनिवार्य प्रतिबंध।
    - केवल 19% देशों में स्कूल भोजन में अस्वास्थ्यकर खाद्य/पेय पर प्रतिबंध।
- **उपाय शामिल:**
    - मार्केटिंग प्रतिबंध
    - प्रायोजन/विज्ञापन पर रोक
    - स्कूलों में खाद्य नियमन
    - पैकेज पर स्पष्ट लेबलिंग
    - मीठे पेय पर कर

---

3. मुख्य चिंताएँ

- **उपलब्धता और मार्केटिंग का पक्षपात:** पैकेज्ड स्नैक्स, फास्ट फूड व मीठे पेय फलों और सब्ज़ियों पर हावी।
- **विनियमन की कमी:** बहुत कम देश मज़बूत अनिवार्य प्रतिबंध लागू करते हैं।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **बच्चों पर ख़तरा:** 5–14 वर्ष आयु वर्ग सबसे अधिक संवेदनशील, जिनमें अधिक वज़न का अनुपात सबसे ऊँचा है।

यूपीएससी जीएस मेन्स पाठ्यक्रम में उपयोग

1. जीएस पेपर I (समाज)

- **स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे:**
    - बढ़ता बाल मोटापा = सामाजिक समस्या, जीवनशैली, शहरीकरण और पारिवारिक खाद्य विकल्पों से जुड़ी।
    - **समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण:**
        - दुर्खीम का Anomie → उपभोक्तावाद के कारण स्वस्थ मानदंडों का विघटन।
        - मार्क्स का Commodification → भोजन का लाभ-प्रेरित उत्पाद बनना, सार्वजनिक भलाई नहीं।
    - चार्ट 1 और 2 के आँकड़े (5–14 वर्ष में 21% अधिक वज़न) का उपयोग परिवार/बचपन में वैश्विक और भारतीय स्तर पर बदलाव दिखाने हेतु।
- **वैश्वीकरण के प्रभाव:**
    - दक्षिण एशिया में बहुराष्ट्रीय खाद्य चेन का प्रसार (चार्ट 3 और 4)।
    - अस्वास्थ्यकर आहार की एकरूपता = सांस्कृतिक समरूपीकरण।

---

2. जीएस पेपर II (शासन, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य नीति)

- **स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक क्षेत्र के विकास व प्रबंधन की समस्याएँ:**
    - बच्चों की संवेदनशीलता = खाद्य वातावरण को नियंत्रित करने में नीति की विफलता।
    - यूनिसेफ़ आँकड़ा उद्धृत करें: केवल 18% देश स्कूलों के पास अस्वास्थ्यकर खाद्य पर रोक लगाते हैं।
- **सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप:**
    - भारत के प्रयास:
        - FSSAI का Eat Right Campaign।
        - मध्याह्न भोजन सुधार (अब पीएम-पोषण)।
        - खाद्य लेबलिंग मानक।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 से जोड़ें – शिक्षा के साथ पोषण पर जोर।

---

3. जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान-तकनीक)

- **भारतीय अर्थव्यवस्था – विकास की समस्याएँ:**
  - जंक फूड उद्योग = कॉरपोरेट लाभ बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य।
  - WTO और व्यापार उदारीकरण = अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य का बढ़ता बाज़ार।
- **विज्ञान एवं तकनीक:**
  - फूड टेक्नोलॉजी के कारण अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य का प्रसार।
  - स्वस्थ विकल्पों पर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता।
- **पर्यावरण: कृषि और खाद्य सुरक्षा:**
  - पैकेज्ड स्नैक्स की दीवानगी = स्थानीय किसानों/सब्जियों को नुकसान।
  - आहार पैटर्न में बदलाव से पारंपरिक, सतत आहार प्रणाली पर खतरा।

---

4. जीएस पेपर IV (नैतिकता – केस स्टडी और मूल्य)

- **शासन और कॉरपोरेट जिम्मेदारी में नैतिकता:**
  - नैतिक प्रश्न: क्या कंपनियों को बच्चों को जंक फूड का प्रचार करने की अनुमति होनी चाहिए?
  - लाभ कमाने की प्रवृत्ति बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य कल्याण का संघर्ष।
  - उद्धरण: "स्वास्थ्य के बिना ईमानदारी वैसी ही है जैसे शांति के बिना धन।"

4. जातीय अपराध में अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

केस का अवलोकन

- **मामले का नाम:** Kiran बनाम Rajkumar Jivang Jivin
- **न्यायालय:** भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- **निर्णय की तिथि:** 1 सितम्बर 2025
- **पीठ:** भारत के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. गवई के नेतृत्व में
- **मुख्य मुद्दा:** क्या बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देना एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 का उल्लंघन था?

प्रमुख कानूनी प्रावधान

- **धारा 18 (SC/ST अधिनियम, 1989):** जब प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो अग्रिम जमानत देने पर स्पष्ट रोक।
- **प्रभाव:** दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 (अग्रिम जमानत) को अपवाद बना देता है।

मामले के तथ्य

- **शिकायतकर्ता:** किरण, अनुसूचित जाति समुदाय की सदस्य।
- **घटना की तिथि:** 26 नवम्बर 2024 (विधानसभा चुनाव से संबंधित)।
- **आरोप:**
    - आरोपी ने शिकायतकर्ता पर लोहे की रॉड से हमला किया क्योंकि उसने उनकी मर्जी से वोट नहीं दिया।
    - जातिगत गालियाँ और अपमानजनक शब्द।
    - शिकायतकर्ता की मां और बुआ के साथ छेड़छाड़।
    - मंगलसूत्र (सोने की चेन) की लूट।
    - घर जलाने की धमकी।
- **ट्रायल कोर्ट:** परभणी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत खारिज की।
- **हाई कोर्ट:** बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद पीठ) ने अग्रिम जमानत दी, FIR को राजनीतिक रूप से प्रेरित और बढ़ा-चढ़ा कर बताया।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ व फैसला

1. **धारा 18 पर पुनः पुष्टि:** अग्रिम जमानत पर रोक को संवैधानिक रूप से वैध माना गया।
2. **पूर्ववर्ती फैसले:** State of M.P. vs Ram Krishna Balothia, Vilas Pandurang Pawar, Prathvi Raj Chauhan केसों पर भरोसा।
3. **"मिनी-ट्रायल" पर रोक:** जमानत चरण में सबूतों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। केवल FIR से प्रथम दृष्टया मामला देखना होगा।
4. **"सार्वजनिक दृष्टि" की व्याख्या:** घर के बाहर, दूसरों के सामने हुई गालियाँ/हमले धारा 3(1)(r) के अंतर्गत आते हैं।
5. **चुनावी प्रतिशोध:** वोटिंग विकल्प पर हमला धारा 3(1)(b) के तहत अपराध।
6. **प्रॉसिक्यूशन की मजबूती:** स्वतंत्र गवाहों, हथियार की बरामदगी और चिकित्सीय प्रमाणों ने मामला मजबूत किया।
7. **अंतिम निर्णय:** अग्रिम जमानत रद्द, HC का आदेश “स्पष्ट त्रुटि और अधिकार क्षेत्र की अवैधता” घोषित।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS – OUR COMMITMENT"

महत्व और आगे का रास्ता

- **संरक्षक ढाल:** SC/ST अधिनियम को कमजोर नहीं, बल्कि पीड़ितों की गरिमा व सुरक्षा का असली साधन बताया।
- **न्यायालयों के लिए दिशा:**
  - धारा 18 की मंशा का पालन अनिवार्य।
  - FIR आधारित प्रथम दृष्टया परीक्षण ही पर्याप्त।
- **लोकतांत्रिक भागीदारी:** SC/ST मतदाताओं को चुनावी प्रतिशोध से बचाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक।
- **कानून का शासन:** सबसे हाशिए पर खड़े समुदायों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व।

उत्तर लेखन में Kiran vs Rajkumar केस का उपयोग

1. जीएस पेपर II (शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय)

A. भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों में

- **मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 और 21):**
  - तर्क: आरोपी के अधिकार (अनु. 21 – स्वतंत्रता) की तुलना में पीड़ित समुदाय का समानता (अनु. 14), गरिमा के साथ जीवन (अनु. 21) और शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राथमिक है।
  - उपयोग: "सुप्रीम कोर्ट ने Kiran vs Rajkumar (2025) में धारा 18 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, इसे ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों की समानता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वर्गीकरण बताया।"

B. न्यायपालिका से जुड़े प्रश्नों में

- **न्यायिक सक्रियता बनाम संयम:**
  - तर्क: HC ने "मिनी-ट्रायल" कर न्यायिक अतिरेक किया, SC ने संसद की मंशा का सम्मान कर इसे सुधारा।
  - उपयोग: "यह फैसला SC की भूमिका को संविधान का संरक्षक और निचली अदालतों पर नियंत्रण रखने वाला बताता है।"

C. सामाजिक न्याय से जुड़े प्रश्नों में

- **कमजोर वर्गों की सुरक्षा:**
  - तर्क: मामला दिखाता है कि कानूनी ढाँचा सामाजिक वास्तविकताओं से निपटने हेतु विकसित हुआ है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- उपयोग: “Kiran vs Rajkumar ने यह सुनिश्चित किया कि SC/ST (PoA) अधिनियम की कठोरता को कमजोर न किया जाए।”

D. चुनावी मुद्दों पर प्रश्नों में

- **चुनावी दबाव:**
  - तर्क: केस से स्पष्ट कि कमजोर वर्गों को स्वतंत्र वोट डालने का अधिकार सुरक्षित करना लोकतंत्र का मूल है।
  - उपयोग: “इस फैसले ने SC/ST मतदाताओं को चुनावी प्रतिशोध से बचाने की संवैधानिक गारंटी दी।”

---

2. जीएस पेपर IV (नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि)

A. शासन में नैतिकता से संबंधित प्रश्नों में

- **मानव गरिमा:** पूरा अधिनियम और निर्णय मानव गरिमा की रक्षा पर आधारित।
- **सहानुभूति और करुणा:** पीड़ित की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए निर्णय।
- **निष्पक्षता:** कोर्ट ने चेताया कि बिना प्रमाण genuine मामलों को “राजनीतिक प्रेरित” कहकर खारिज करना पक्षपात है।
- **उपयोग:** “एक नैतिक प्रशासक को सहानुभूति और निष्पक्षता के साथ SC/ST अधिनियम लागू करना चाहिए। Kiran vs Rajkumar (2025) में SC ने स्टीरियोटाइप आधारित पूर्वाग्रहों से सावधान किया।”

5. राजनीतिक अशांति के दौरान सोशल मीडिया कंपनियों का आचरण

1. मुख्य तर्क व केंद्रीय विचार

- **तर्क:** राजनीतिक अशांति के समय सोशल मीडिया कंपनियाँ प्रायः निष्क्रिय रहती हैं। वे डिजिटल अधिकारों और उपयोगकर्ता की पहुँच की रक्षा करने के बजाय वाणिज्यिक हितों और सरकारी प्रतिशोध से बचने को प्राथमिकता देती हैं।
- **विरोधाभास:** उनके लाभ के उद्देश्य और स्वयं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व भागीदारी के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करने वाली छवि के बीच टकराव है।

---

2. प्रमुख उदाहरण (केस स्टडीज़)

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

देश	**वर्ष**	**प्लेटफ़ॉर्म**	**सरकारी कार्रवाई**	**कंपनी की प्रतिक्रिया**	**परिणाम**
नेपाल	हाल का	26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म	पहुँच पर प्रतिबंध	डिजिटल अधिकारों पर सामान्य बयान	उपयोगकर्ताओं में परित्याग की भावना गहरी हुई
रूस	2018	टेलीग्राम	प्रतिबंध	तकनीकी तरीकों से रोक को चकमा	गिरफ्तार उपयोगकर्ताओं को राजनीतिक समर्थन कम
म्यांमार	2021	फेसबुक	प्रतिबंध	लागू नहीं (प्रतिबंध ने ही पहुँच काट दी)	प्रदर्शनकारियों की खबरें और आयोजन उपकरण कट गए
नाइजीरिया	2021	ट्विटर (X)	कई महीनों तक निलंबन	अधिकांशतः मौन	~$25 मिलियन/दिन आर्थिक हानि; व्यवसाय विकल्पों की ओर चले गए
ईरान	2022	इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप	शटडाउन	सामान्य अपीलें	लाखों छोटे व्यवसाय ढह गए

---

3. कंपनियों की निष्क्रियता के कारण

- **सरकारी प्रतिशोध का भय:** लाभदायक बाजारों में जवाबी कार्रवाई का डर।
- **वाणिज्यिक हित:** ये कंपनियाँ बहुराष्ट्रीय निगम हैं जिनकी प्राथमिकता व्यवसाय है, नागरिक अधिकार नहीं।
- **प्रबंधकों का जोखिम:** स्थानीय कानून को चुनौती देने पर अधिकारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में।
- **व्यावसायिक मॉडल का व्यवधान:** तकनीकी समाधान अपनाने से केंद्रीकृत डेटा-संग्रह और विज्ञापन आधारित राजस्व पर असर।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

4. मौजूदा तकनीकी समाधान (कम उपयोग किए गए)

- **विकेंद्रीकृत ढाँचा:** फेडरेटेड सर्वर (जैसे Mastodon) का उपयोग।
- **प्रॉक्सी रिले व VPNs:** स्वयंसेवकों के जरिए ट्रैफिक मार्ग (जैसे Signal का मॉडल ईरान में)।
- **ट्रैफिक छुपाना:** कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (जैसे YouTube) या एन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल (जैसे WhatsApp का HTTPS)।
- **फेलओवर सिस्टम:** जब एक प्लेटफ़ॉर्म बंद हो तो उसी कंपनी के दूसरे ऐप्स पर ट्रैफिक शिफ्ट करना (जैसे Meta के ऐप्स)।

---

5. अन्य उद्योगों से तुलना

- **टीवी कंपनियाँ:** आदेश मान लेती हैं, लेकिन स्वयं को "आवाज़ के रक्षक" के रूप में प्रचारित नहीं करतीं।
- **वित्तीय कंपनियाँ:** स्पष्ट राजनीतिक रुख लेती हैं (जैसे PayPal/Visa ने रूस में सेवाएँ बंद कीं – यूक्रेन युद्ध के दौरान)।
- **विकिपीडिया:** तुर्की में सेंसरशिप के खिलाफ कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की।

---

6. अंतरराष्ट्रीय मानक व सिद्धांत

- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (2016):** इंटरनेट शटडाउन को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन घोषित किया।
- **सांता क्लारा सिद्धांत:** पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग—सरकारी आदेशों का खुलासा और कंपनी के जवाब का औचित्य। व्यवहार में कंपनियों का आचरण इनके विपरीत।

---

7. निष्कर्ष और विडंबना

- **सरकारी प्रतिबंध अक्सर विफल:** उपयोगकर्ता VPN जैसे उपायों से पहुँच बना लेते हैं।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **तकनीकी क्षमता उपलब्ध:** कंपनियाँ सीधे ऐप में VPN जैसे टूल जोड़ सकती हैं, पर लाभ-आधारित मॉडल के कारण नहीं करतीं।
- **मूल समस्या:** तकनीक की कमी नहीं बल्कि **कॉर्पोरेट चुनाव**—केंद्रित, विज्ञापन-आधारित मॉडल को प्राथमिकता देना, बजाय डिजिटल अधिकारों की सशक्त रक्षा करने के।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"